संख्याः- 40 /XXVII(1)/2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 19 जनवरी,2010

विषयः- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु नगरपालिका परिषदों को चतुर्थ त्रैमासिक की किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की चतुर्थ त्रैमासिक की किस्त हेतु **रु0 177425000.00 (रू0 सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है-

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

18/1/2010

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20– सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

18/1/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

संख्याः– 40 (1)/XXVII(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

18/1/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव

शासनादेश संख्याः 40 / **XXVII (1)** / 2010,
दिनांकः 19 जनवरी,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों को वर्ष 2009–10 के लिए चतुर्थ किश्त हेतु अवमुक्त संकमण।

(धनराशि हजार रू० में)

क्र०सं०	शहरी स्थानीय निकाय	चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3
1–नगर पालिका परिषद		
1-	उत्तरकाशी	5654
2-	जोशीमठ	4283
3-	चमोली / गोपेश्वर	5555
4-	नई टिहरी	6418
5-	नरेन्द्र नगर	1325
6-	मसूरी	16556
7-	विकासनगर	1583
8-	ऋषिकेश	7417
9-	दुगड्डा	447
10-	कोटद्वार	4895
11-	श्रीनगर	2760
12-	पौड़ी	6659
13-	टनकपुर	2129
14-	रामनगर	3680
15-	नैनीताल	9158
16-	भवाली	614
17-	हल्द्वानी	15811
18-	जसपुर	3785
19-	काशीपुर	8335
20-	बाजपुर	2010
21-	गदरपुर	1902
22-	रूद्रपुर	13091

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय	चतुर्थ किश्त हेतु देय संक्रमण
23-	किच्छा	3128
24-	सितारगंज	2455
25-	खटीमा	2523
26-	रूड़की	8487
27-	मंगलौर	3343
28-	हरिद्वार	15922
29-	पिथौरागढ़	7695
30-	अल्मोड़ा	4230
31-	बागेश्वर	2050
32-	रूद्रप्रयाग	3525
	योग	177425

(रू0 सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)

13/1/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त